आदेश

संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2018–19 भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल (http://scholarship.gov.in) के माध्यम से प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष (Fresh/ Renewal) के ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2018 निर्धारित है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं जिनके माता पिता /अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख (समस्त स्रोतो) से अधिक नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक आय रू0 1.00 लाख(समस्त स्रोतो) से अधिक नहीं है एवं विकलांग छात्र/छात्राओं जिनकी वार्षिक आय रू0 44,500/– से अधिक नहीं है वाले माता पिता /अभिभावकों के पाल्य ही पात्र होगें।

ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं विवरण के संबंध में निम्न प्रकिया निर्धारित की गयी है। छात्र–छात्रा द्वारा ऑनलाइन डाटा फीडिग में की गयी त्रुटि के कारण छात्रवृत्ति अस्वीकृत होने वाली हानि के लिये छात्र/छात्रायें स्वंय उत्तरदायी होंगे।

1. सॉफ्टवेयर में छात्रवृत्ति आवेदन का विवरण पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर स्वंय फीड की जायेगी। इसके लिये छात्रों को केवल एक बार ही भारत सरकार के (http://scholarship.gov.in) पोर्टल के द्वारा पंजीकरण करना होगा। पंजीकृत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन हेतु एक User Id एवं Password ई–मेल अथवा एस0एम0एस के माध्यम से प्राप्त होगा।
2. वे छात्र–छात्रायें जो पूर्व से ही पंजीकृत है उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्र–छात्रायें Renewal के लिए पूर्व में प्राप्त User Id एवं Password का ही प्रयोग करेगें।
3. छात्रवृत्ति हेतु नवीन आवेदन पत्र के लिये आवेदन करते समय संबंधित छात्र–छात्राओं द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेखों जैसे–
    1. छात्र/छात्राओं द्वारा पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ।
    2. मूल निवास प्रमाण–पत्र (उत्तराखण्ड)
    3. जाति प्रमाण–पत्र(उत्तराखण्ड)
    4. आय प्रमाण–पत्र(छः माह से पुराना ना हो)
    5. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण–पत्र/अंकतालिका
    6. शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत छात्र का बोनाफाईट सर्टिफिकेट
    7. सेमेस्टर/वार्षिक फीस रसीद की फोटो प्रति
    8. किसी भी CBS बैंक की पासबुक का प्रथम पेज जिसमें छात्र का नाम/पता/बैंक एकाउंट नम्बर एवं बैंक का IFSC code स्पष्ट रूप से दर्ज हो, कर स्व–प्रमाणित प्रतियों को अपलोड करना आवश्यक होगा।
    9. ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं द्वारा काउंसिलिंग का प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा।
    10. विकलांगता प्रमाण–पत्र (विकलांग छात्रवृत्ति हेतु)।

4. संबधित छात्रों द्वारा ऑनलाईन फीड किये गये आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर एवं नियत स्थान पर पॉसपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो को चस्पा कर समस्त अपलोड किये गये दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियों सहित इस संस्था कार्यालय में नियत अंतिम तिथि 31.10.2018 के पश्चात(एक सप्ताह के भीतर) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र में अंकित विवरण एवं संलग्नों के माध्यम से प्रस्तुत किये जा रहे अभिलेखों हेतु छात्र/छात्रा स्वंय जिम्मेदार होंगे। किसी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मवत कार्यवाही की जायेगी।

अतः संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग छात्र/छात्राओं निर्धारित अंतिम तिथि 31.10.2018 से पूर्व समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों सहित छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन Submit न करने वाले छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति से वंचित रहने पर स्वंय उत्तरदायी होगें।

(राजीव सिंह)
प्रधानाचार्य

<u>कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक आमवाला, देहरादून।</u>

पत्रांकः– 549-52/सूचना/छात्रवृत्ति/2018–19 दिनांक 20 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष इलेक्ट्रा0 एवं इलैक्ट्री0 की कक्षाओं में अनु0जाति अनुजनजाति /अन्य पिछडी जाति /विकलांग छात्र–छात्राओं की आवश्यक जानकारी हेतु।
2. सूचनापट संस्थागत पर चस्पा हेतु।
3. वेबसाइट हेतु।
4. अध्यक्ष छात्रवृत्ति समिति संस्थागत।

(राजीव सिंह)
प्रधानाचार्य